



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

" प्रभावी पैरवी कर खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाने व जान से मारने की धमकी देने वाले **02** अभियुक्तों को **02-02 वर्ष के कारावास व ₹16,000/-** के अर्थ दंड की सजा दिलाई गई,,



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मौदहा में पंजीकृत अ0सं0-145/2014 धारा- 324,323,504,506 भा0द0सं0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय ई.सी.कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा अभियुक्तगण 1.उमराव चौधरी पुत्र फतेह मोहम्मद 2.फतेह चौधरी पुत्र फजल अहमद निवासीगण मो0 हैदरगंज कस्बा व थाना मौदहा हमीरपुर को **02-02 वर्ष के कारावास व ₹16,000/- रु0 के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।**



एडीजीसी
सुभाष श्रीवास्तव



विवेचक उ0नि0
सुरेन्द्र सिंह यादव



पैरोकार मौदहा
का0 शुभम यादव